



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5089]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 27, 2018/पौष 6, 1940

No. 5089]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 27, 2018/PAUSHA 6, 1940

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6330(अ).— संविधान के अनुच्छेद 214 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा ;

और मौजूदा आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के लिए और उससे जुड़े मामलों के लिए उपबंध करने की दृष्टि से आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 (2014 का 6) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) को अधिनियमित किया गया था ;

और उक्त अधिनियम की धारा 30 के खंड (क) में उपबंध दिया गया है कि तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय, उक्त अधिनियम के खंड 31 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 214 के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक पृथक न्यायालय का गठन किए जाने तक, साझा न्यायालय होगा ;

और उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) में उपबंधित है कि धारा 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक पृथक उच्च न्यायालय होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहा गया है) और हैदराबाद राज्य स्थित उच्च न्यायालय, तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय हो जाएगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में उपबंधित है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा, जो राष्ट्रपति, अधिसूचित आदेश द्वारा, नियत करें ;

और भारत के उच्चतम न्यायालय ने संघ सरकार बनाम टी. धनगोपाल व अन्य [2018 की एस.एल.पी. (सिविल) संख्या डी. 29890] में निर्णय दिया था कि सक्षम प्राधिकारी पर हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय को क्रमशः तेलंगाना उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में विभाजित करने की कोई अधिसूचना जारी करने पर कोई रोक नहीं है और इस प्रकार की अधिसूचना को जनवरी, 2019 के पहले दिन तक जारी किया जाना चाहिए ताकि ये दोनों उच्च न्यायालय अलग-

अलग रूप से कार्य कर सकें और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय यथाशीघ्र नए भवन में कार्य करना शुरू कर सकें और तदनुसार अपील का निपटान किया गया था।

अब, अतः, संविधान के अनुच्छेद 214 और उपर्युक्त मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 30 की उप धारा (1) के

खंड (क), धारा 31 की उपधारा (1) और धारा 31 की उपधारा (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के लिए जनवरी, 2019 के पहले दिन से एक अलग उच्च न्यायालय नामतः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय गठित करते हैं जिसका प्रधान स्थान आंध्र प्रदेश राज्य में अमरावती में होगा और हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय, तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय हो जाएगा।

2 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के गठन के साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीश नामतः सर्व/श्री :-

- (i) न्यायाधिपति श्री रमेश रत्ननाथन (वर्तमान में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं)
- (ii) न्यायाधिपति चागारि प्रवीण कुमार
- (iii) न्यायाधिपति सरस वेंकटनारायण भट्टी
- (iv) न्यायाधिपति आकुल वेन्कट सेप साइ
- (v) न्यायाधिपति दामा शेशाद्रि नायडु (वर्तमान में स्थानांतरण पर केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं)
- (vi) न्यायाधिपति मांधाता सीतारामा मूर्ति
- (vii) न्यायाधिपति उप्पाका दुर्ग प्रसाद राव
- (viii) न्यायाधिपति ताल्लूर सुनील चौदरि
- (ix) न्यायाधिपति मल्लेवोलु सत्यनारायण मूर्ति
- (x) न्यायाधिपति गुडिसेव श्याम प्रसाद
- (xi) न्यायाधिपति कुमारी जवलकर उमा देवि
- (xii) न्यायाधिपति नङ्ग बालायोगि
- (xiii) न्यायाधिपति श्रीमती तेलप्रोलु रजनि
- (xiv) न्यायाधिपति दु वासुला वेंकटा सुब्रमन्य सूर्यनारायणा सोमयाजुलु
- (xv) न्यायाधिपति श्रीमती कोंगर विजय लक्ष्मि ; और
- (xvi) न्यायाधिपति मंतोज् गंगा राव,

हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और वे जनवरी 2019 के पहले दिन से अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे।

3. इस आदेश के उद्देश्यों के लिए एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि -

(क) निम्नलिखित न्यायाधीश, हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के साझा न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और वे 01 जनवरी, 2019 से तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे, नामतः सर्व/श्री:-

- (i) न्यायाधिपति पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार
- (ii) न्यायाधिपति मामिडन्ना सत्या रत्ना श्री रामचंद्र राव
- (iii) न्यायाधिपति अडवल्लि राजाशेकर रेड्डी
- (iv) न्यायाधिपति पोनुगोटि नवीन राव
- (v) न्यायाधिपति चल्ला कोदान्डराम चौदरि
- (vi) न्यायाधिपति बुलुसु शिवा शंकारा राव
- (vii) न्यायाधिपति डॉ. शमीम अक्थर
- (viii) न्यायाधिपति पोटलपल्लि केशवारावु
- (ix) न्यायाधिपति अभिनंद कुमार शाविलि
- (x) न्यायाधिपति तोडुपुनूरी अमर नाथ गौड

(ख) श्री न्यायाधिपति रामय्यगारि सूभाश रेड्डी ने जो कि हैदराबाद स्थित साझा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नत किया गया है, तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के लिए आवंटन के लिए विकल्प दिया था।

(ह/-)

रामनाथ कोविन्द
भारत के राष्ट्रपति

[फा. सं. के-11018/01/2014-यूएस.]

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 2018

S.O. 6330(E).— WHEREAS article 214 of the Constitution provides that there shall be a High Court for each State;

AND WHEREAS the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 (6 of 2014) (hereafter in this Order referred to as the said Act) was enacted with a view to provide for the reorganisation of the existing State of Andhra Pradesh and for matters connected therewith;

AND WHEREAS clause (a) of section 30 of the said Act provides that the High Court of Judicature at Hyderabad shall be the common High Court for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh till a separate High Court for the State of Andhra Pradesh is constituted under article 214 of the Constitution read with section 31 of the said Act;

AND WHEREAS sub-section (1) of section 31 of the said Act provides that subject to the provisions of section 30, there shall be a separate High Court for the State of Andhra Pradesh (hereafter in this Order referred to as the High Court of Andhra Pradesh) and the High Court of Judicature at Hyderabad shall become the High Court for the State of Telangana;

AND WHEREAS sub-section (2) of section 31 of the said Act provides that the principal seat of the High Court of Andhra Pradesh shall be at such place as the President may, by a notified Order, appoint;

AND WHEREAS the Supreme Court of India in the matter of Union of India Vs. T. Dhangopal and Ors [SLP (civil) No. D. 29890 of 2018] held that there is no embargo for the Competent Authority to issue a notification bifurcating the High Court of Judicature at Hyderabad into the High Court of Telangana and the High Court of Andhra Pradesh respectively and such a notification to be issued by the 1st day of January, 2019 so that the two High Courts start functioning separately and the High Court of Andhra Pradesh also starts functioning in the new building at the earliest and accordingly, the appeal was disposed.

NOW, THEREFORE, in pursuance of article 214 of the Constitution and the Order issued by the Supreme Court of India in the aforesaid matter and in exercise of powers conferred under clause (a) of sub-section (1) of section 30, sub-section (1) of section 31 and sub-section (2) of section 31 of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, the President hereby constitutes a separate High Court for the State of Andhra Pradesh, namely, the High Court of Andhra Pradesh, from the 1st day of January, 2019 with the principal seat of such High Court at Amaravati in the State of Andhra Pradesh and the High Court of Judicature at Hyderabad shall become the High Court for the State of Telangana.

2. With the constitution of the High Court of Andhra Pradesh, the following Judges of the High Court of Judicature at Hyderabad for the States of Telangana and Andhra Pradesh, namely S/Shri:-

- (i) Justice Ramesh Ranganathan (presently working as Chief Justice of High Court of Uttarakhand)
- (ii) Justice Chagari Praveen Kumar
- (iii) Justice Sarasa Venkatanarayana Bhatti
- (iv) Justice Akula Venkata Sessa Sai
- (v) Justice Dama Seshadri Naidu (presently working on transfer as Judge, High Court of Kerala)
- (vi) Justice Mandhata Seetharama Murti
- (vii) Justice Upmaka Durga Prasad Rao
- (viii) Justice Talluri Sunil Chowdary
- (ix) Justice Mallavolu Satyanarayana Murthy
- (x) Justice Gudiseva Shyam Prasad
- (xi) Justice Kumari Javalakar Uma Devi
- (xii) Justice Nakka Balayogi
- (xiii) Justice Smt. Telaprolu Rajani
- (xiv) Justice Durvasula Venkata Subramanya Suryanarayana Somayajulu
- (xv) Justice Smt. Kongara Vijaya Lakshmi; and
- (xvi) Justice Manthoj Ganga Rao,

shall cease to be the Judges of the High Court of Judicature at Hyderabad, and shall become the Judges of the High Court of Andhra Pradesh at Amaravati with effect from the 1st day of January, 2019.

3. For the purposes of this Order, it is hereby clarified that -

(A) the following Judges shall cease to be the Judges of the common High Court of Judicature at Hyderabad and shall become the Judges of the High Court for the State of Telangana with effect from the 1st day of January, 2019, namely S/Shri:-

- (i) Justice Puligoru Venkata Sanjay Kumar
- (ii) Justice Mamidanna Satya Ratna Sri Ramachandra Rao
- (iii) Justice Adavalli Rajasheker Reddy
- (iv) Justice Ponugoti Naveen Rao
- (v) Justice Challa Kodandaram Chowdary
- (vi) Justice Bulusu Siva Sankara Rao
- (vii) Justice Dr. Shameem Akther

- (viii) Justice Potlapalli Keshava Rao
(ix) Justice Abhinand Kumar Shavili
(x) Justice Todupunuri Amarnath Goud ;

(B) Shri Justice R.Subhash Reddy who was a Judge of the common High Court of Judicature at Hyderabad and who has been elevated as Judge of the Supreme Court of India, had exercised the option for allocation to High Court for the State of Telangana.

Sd/-

RAM NATH KOVIND
PRESIDENT OF INDIA

[F. No. K. 11018/01/2014-US.I]

RAJINDER KASHYAP, Jt. Secy.